

Six coal mines are under consideration for allotment.

Posted On: 13 DEC 2019 8:02PM by PIB Delhi

The Ministry of Coal had initiated the auction process for 27 coal mines under tranches 8, 9 and 10 for non-regulated sector and the allotment process for 15 coal mines under tranches 6, 7, 8 and 9 for various specified end-uses i.e. Power, Sale of Coal and Iron & Steel.

In the auction process, the successful bidders for all the mines except Gare Palma IV-1 have been recommended by the Central Government as detailed below:

S. No	Name of Coal Mine	State	Success Bidder	PRC (Mtpa)	Final Price (Rs./tonne)	Revenue for 30 years* (RsCrore)
1	Bikram	Madhya Pradesh	Birla Corporation Limited	0.36	154	166.32
2	Brahampuri	Madhya Pradesh	Birla Corporation Limited	0.36	156	168.48
3	Bhaskarpara	Chhattisgarh	Prakash Industries Limited	1.00	1100	3,300.00
4	Jagannathpur B	West Bengal	Powerplus Traders Private Limited	0.80	185	444.00
5	Jamkhani	Odisha	Vedanta Limited	2.60	1674	13,057.20

*excluding royalties, levies, and applicable taxes

In the Allotment process, applications were received in case of 6 out of 15 coal mines. On the basis of the evaluation of the applications, received in the allotment processes, these 6 coal mines are under consideration for allotment.

S. No.	Name of Coal Mine	End Use	Extractable Reserves (Mt)
1-2	Durgapur II Taraimar/ Durgapur II Sariya	Power	207.15
3	Mandakini	Power	287.89
4	Utkal C	Power	123.86
5	Sugia Closed Mine	Sale of Coal	2.06
6	Tokisud North	Sale of Coal	51.97

*excluding royalties, levies, and applicable taxes

These mines will add more than 5MT coal per annum and boost the coal production in the country and reduce the dependence of industries on imported coal. This will also generate about Rs. 15,000 Crores revenue for State Governments where the mines are located besides royalties and other applicable taxes.

SP

(Release ID: 1596452) Visitor Counter : 338

Read this release in: Hindi



आबंटन के लिए छह कोयला खानों पर विचार

प्रविष्टि तिथि: 13 DEC 2019 8:02PM by PIB Delhi

कोयला मंत्रालय ने बिजली व लोहा एवं इस्पात आदि क्षेत्रों में उपयोग के लिए तथा कोयले की बिक्री के लिए गैर-नियमित क्षेत्र के ट्रैच 8,9 और 10 के तहत 27 कोयला खानों और ट्रैच 6, 7, 8 और 9 के तहत 15 कोयला खानों के लिए आबंटन प्रक्रिया की शुरूआत की है। इस नीलामी प्रक्रिया में, गारे पालमा IV-1 खदान को छोड़कर बाकी सभी खानों के सफल बोली लगाने वालों की सिफारिश केन्द्र सरकार द्वारा की गई है, जो निम्न हैं :

क्र.सं.	कोयला खान का नाम	राज्य	सफल बोली लगाने वाले	पीआरसी (एमटीपीए)	अंतिम मूल्य (रुपया/टन)	30 वर्षों के लिए राजस्व* (करोड़ रुपये में)
1	बिक्रम	मध्य प्रदेश	बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.36	154	166.32
2	ब्रह्मपुरी	मध्य प्रदेश	बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.36	156	168.48
3	भास्करपारा	छत्तीसगढ़	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1.00	1100	3,300.00
4	जगन्नाथपुर बी	पश्चिम बंगाल	पॉवरप्लस ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	0.80	185	444.00
5	जमखनी	ओडिशा	वेदांता लिमिटेड	2.60	1674	13,057.20

*रायल्टी, लेवी और अन्य लागू करों को छोड़कर

आबंटन प्रक्रिया में, 15 में से 6 कोयला खानों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। आबंटन प्रक्रिया में प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर निम्न 6 कोयला खान आबंटन के लिए विचाराधीन हैं।

क्र.सं.	कोयला खान का नाम	उपयोग	खनन योग्य आरक्षित खनिज (एमटी)
1-2	दुर्गापुर II तराईमर/दुर्गापुर II सरिया	बिजली	207.15
3	मंदाकिनी	बिजली	287.89

4	उत्कल सी	बिजली	123.86
5	सुगिया बंद पड़ा खान	कोयले की बिक्री	2.06
6	उत्तरी तोकिसुद	कोयले की बिक्री	51.97

*रॉयल्टी, लेवी और अन्य लागू कराँ को छोड़कर

इन खानों से 5एमटी प्रति वर्ष कोयला उत्पादन होगा। इससे देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी और आयातित कोयले पर उद्योग जगत की निर्भरता कम होगी। उन राज्यों में जहां कोयला खान स्थित है, राज्य सरकारों को 15,000 करोड़ रुपये का राजस्व तथा रॉयल्टी और अन्य लागू कर प्राप्त होंगे।

आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/जेके/जीआरएस – 4761

(रिलीज़ आईडी: 1596486) आगंतुक पटल : 29

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English